Annexure - 4

DOCUMENTATION OF SODH YATRA

(Mass Public Awareness Campaign with focus on Participatory Research and Community Action)

Jayal, Nagaur

February 25 – March 5, 2020

शामलात शोध यात्रा

उन्नति द्वारा मरूधरा में जल स्वावलंबन के तहत शामलात (कॉमन) शोध (रिसर्च) यात्रा करने का सोचा गया। सोच को कार्य में तब्दील करने के लिए वाटर गवर्नेंस परियोजना के साथ जुड़े सी.एस.ओ. की बैठक का आयोजन कर इस पर चर्चा की गई तथा शौध यात्रा की अवधारणा, उद्देष्य, क्षेत्र व प्रक्रियाओं का चयन, कितने गांव कवर करने चाहिए आदि विषयों पर चर्चा की गई एवं शोध यात्रा का एक प्रारूप तैयार किया। नियोजन बना तथा क्षेत्र व गांवों की संख्या तय की गई।

पूर्व तैयारी बैठकः

पहली बैठक 18 जनवरी, 2020 को उन्नति टीम हुई तथा इस बैठक में शौध यात्रा की तैयारी एवं आगामी नियोजन, टीम की भूमिकाएं आदि का निर्धारण किया गया। यात्रा के दौरान फस्लीटेषन एवं मोटिवेषन के लिए किस प्रकार की फिजिकल सामग्री चार्ट, पोस्टर, उनके कंटेट आदि तय किये गये। बैठक में निम्न निमर्णय लिए गये –

जनवरी 22, 2020 को उन्नति जोधपुर में शामलात शोध यात्रा पूर्व तैयारी बैठक में भाग लिया। इस बैठक में उन्नति के डायरेक्ट श्री बिनोय जी आचार्य, उरमूल ट्रस्ट बीकानेर के सचिव श्री अरविंद ओझा, मरूस्थली बुनकर विकास समिति के सचिव श्री सुरजन राम जी, सारा संस्थान सीकर के मोटाराम जी, उरमूल खेजड़ी के श्री धन्नाराम जी, उन्नति राजस्थान प्रोग्राम ऑफिस टीम ने भाग लिया।

यात्रा का उद्देष्यः

यात्रा एक सहभागी रिसर्च प्रक्रिया है जिसके तहत ग्राम समुदाय की सहभागिता से शामलात संसाधनों जिसके तहत चारागाह एवं पारंपरिक जल स्रोत आते हैं, की समुदाय द्वारा की जा रही प्रबंधन व्यवस्था को गहराई से समझना है। इन स्रोतों व्यापक परिप्रेक्ष्य में उपयोगिता के आधार पर वर्तमान स्थिति का आकलन करना, बेतहर या खराब जो भी स्थिति बनी है, उसके कारणों को जानना, पूर्व में उपयोगिता एवं प्रबंधन की व्यवस्थाओं को समझना, शामलात संसाधनों की उपयोगिता को बनाए रखने के लिए किस प्रकार के नियम, कायदे बनाए गये थे, उनमें से आज कौनसे नियम कायदे प्रचलन में हैं इसका दस्तावेजीकरण करना ताकि शोध यात्रा से यह समझ में आए कि समुदाय का वाटर गवर्नेंस का सिस्टम क्या था। इससे निकलने वाली सीख का दस्तावेज तैयार कर अन्य संगठनों, संस्थाओं, सामुदायिक संगठनों, समितियों के साथ साझा किया जा सके एवं सभी वाटर गवर्नेंस सिस्टम को पूनःस्थापित करने के लिए उसका उपयोग कर सकें।

जलवायु परिवर्तन को लेकर समुदाय के पास किस प्रकार की जानकारी है, समुदाय इसके बारे में क्या सोचता है और इसके प्रभाव को कैसे देखता है। समुदाय से चर्चा करना और जानना कि उनके विचार से उनके गांव एवं आस–पास के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन या उसके प्रभाव के रूप क्या देखते हैं। क्या ऐसा बदलाव देख रहे हैं, जो सामान्य जलवायु परिवर्तन की स्थिति से भिन्न है। अगर जलवायु परिवर्तन के

कारण मौसम में बदलाव देख रहे हैं तो इसका खेती, पशुपालन, आजीविका और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव देख रहे हैं एवं उसका मुकाबला करने के लिए क्या तरीके अपना जा रहे है।

यात्रा की पूर्व तैयारीः

सभी शामलात संसाधनों पर समुदाय की सहभागिता से शामलात की जानकारी, शामलात प्रबंधन व नियम, जल सहेली, चारागाह विकास समिति सदस्यों के नाम एवं भूमिका लिख कर लगाने पर चर्चा हुई एवं इससे संबंधित तैयारी स्वरूप संसाधन मैप, संसाधनों के फोटो कलक्ट कर जोधपुर में उपलब्ध कराना तय हुआ।

प्रकृति पाठषाला के लिए तैयार हो रही आई.ई.सी. सामाग्री जिसमें रेगिस्तान के जन–जीवन, जलवायु आदि जैव विविधता से संबंधित पोस्टर यात्रा के दौरान डिस्प्ले हो तथा समुदाय के साथ उन पर चर्चा हो।

मरूधरा में जल स्वावलंबन वाले सभी 150 गांवों की सूची, किस गांव में किस योजना के तहत क्या काम हुआ है, प्राथमिकता से कहां कौनसे स्रोतों का चयन, विकास के लिए पंचायत में प्लान सबमिट कराए हैं, उनमें से कितने काम हुए इसका विवरण चार्ट / पोस्टर के रूप में डिस्प्ले के लिए साथ में हो जिससे समुदाय को अपने स्तर पर कार्य करने की प्रेरणा मिल सके।

राजस्थान जल नीति के मुख्य बिंदु, जैव विविधता समिति गठन का उद्देष्य, प्रक्रिया, कार्य, बंजर भूमि एवं चारागाह विकास समिति, ग्राम चारागाह विकास समिति के गठन का उद्देष्य, प्रक्रिया एवं कार्य, राजस्थान एवं देष स्तर पर जल संसाधनों की स्थिति, जल की उपलब्धता, आने समय में संकट, जैव विविधता की स्थिति, जल वायु परिवर्तन का प्रभाव आदि से संबंधित नोट, चार्ट, पोस्टर आदि सामग्री का डिस्प्ले एवं फस्लीटेषन में उनका उपयोग करना।

क्षेत्र निर्धारण, पूर्व तैयारी एवं शोध यात्रा का नियोजनः

जनवरी 18,2019 को की बैठक में इस वर्ष उन्नति के दोनों फिल्ड ऑफिस पाटोदी एवं सिणधरी के कार्यक्षेत्र में शोध यात्रा का आयोजन करना तय किया गया था। दोनों फिल्ड क्षेत्र में 25 फरवरी से 07 मार्च के बीच का समय तय किया गया जिसमें दोनों क्षेत्रों में एक साथ दो ट्रेल में 40 गावों में यात्रा करते हुए निर्धारित प्रक्रिया एवं मैथड़ से सहभागी रिसर्च का कार्य किया जाएगा। एक दिन में एक फिल्ड क्षेत्र में दो गांव कवर करते हुए 10 दिन में 40 गांव कवर करेंगे।

जनवरी 22, 2020 की सीएओ बैठक में हुए फाइनल निर्णय में तय किया गया कि शोध यात्रा दो ब्लॉक में की होगी। प्रथम चरण में 25 फरवरी से 05 मार्च, 2020 उरमूल खेजड़ी संस्था के झाड़ेली ब्लॉक के कार्यक्षेत्र के 40 गावों में एवं दूसरे चरण में उन्नति फिल्ड क्षेत्र सिणधरी ब्लॉक में 12 मार्च से 21 मार्च, 2020 के बीच 40 गांवों को कवर किया जाएगा।

यात्रा में उन्नति, आयोजन संस्था की टीम के अतिरिक्त सभी पार्टनर संस्थाओं के लोग पूरे समय अथवा पांच–पांच दिल अलग–अलग सदस्य जुडेंगे। 10 से 15 लोगों की टीम एक साथ रहेगी।

टीम का यात्रा प्रारंभ से पूर्व ऑरियंटेषन हो ताकि सभी को शोधयात्रा का उद्देष्य, कार्य एवं परिणाम के बारे में स्पष्टता रहे।

EUROPEAN UNION
Financial Support

उन्नति
विकास शिक्षण संगठन

"पशु-पक्षी भी परमात्मा से अर्ज करते हैं कि चिड़ी, कमेड़ी बनाओ तो रोल गांव की बनाना, ताकि मीठा पानी पी सकूं"

राधा किशन जी, उपंसरपंच, रोल

URMUL TRUST SARA srijan सृजन BAIF

शोधयात्रा में भाग लेने वाली टीम में से उप टीम बनकार अलग–अलग कार्यों की जिम्मेदारी देना। फोटोग्राफी, लेखन, फैस्लीटेषन, अगले गांव में पूर्व तैयारी एवं वातावरण निर्माण के लिए अग्रिम टीम का गठन कर सदस्यों को स्पष्ट जिम्मेदारी देना।

प्रतिदिन शाम को टीम की बैठक करना। अनुभव शेयरिंग, फीडबैक के साथ आगामी दिन की तैयारी करना।

शोधयात्रा से पूर्व फस्लीटेषन टीम द्वारा क्षेत्र का विजिट (रैकी) करना, नेतृत्वषाली लोगों से संपर्क करना, शामलात शोध यात्रा की जानकारी देना एवं टीम के आवास, भोजन आदि की व्यवस्थाएं सुनिष्चित करना। बैठक स्थल का चयन करना। विजिट के बाद सहयोगी संस्था के साथ फाइनल नियोजना बनाना।

प्रक्रिया:

यात्रा वाले गांव में समुदाय के साथ ट्रांजेकवॉक करना एवं शामलात संसाधनों व गांव के बारे में जानना। लोगों से शामलात संसाधनों की स्थिति के बारे में जानना। उसको दर्ज करना। विषेषतः शामलात संसाधनों का क्षेत्रफल, उसकी उपयोगिता, उसकी देखभाल व प्रबंधन संबंधी जानकारी पूछना एवं उससे निकले सवाल लिखना ताकि समुदाय की बैठक में चर्चा चर्चा की जा सके।

गांव के प्रमुख शामलात संसाधन पर समुदाय बैठक का आयोजन करना एवं निम्न प्रक्रियाएं करनाः–

1. यात्रा का नियोजन एवं शाधयात्रा कॉन्सेप्ट नोट स्थानीय, ब्लॉक, जिला स्तरीय प्रषासनिक अधिकारियों, पंचायत जन प्रतिनिधियों, स्थानीय संगठनों, मीडिया के साथ शेयर करना एवं उन्हें आमंत्रित करना।
2. यात्रा का उद्देष्य स्पष्ट करना एवं प्रमुख शामलात जल स्रोत या चारागाह से चर्चा प्रारंभ करना।
3. वतावरण निर्माण एवं शामलात संसाधनों के समुदाय आधारित प्रबंधन के लाभ एवं नहीं होने से शामलात संसाधनों पर पड़ने वाले कुप्रभाव के लिए बनाए गये स्नेक खेल से प्रारंभ करना जिससे समुदाय वातावरण निर्माण के साथ समुदाय को प्रेरणा भी मिल सके।
4. स्रोत के इतिहास के बारे में जानना, कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, कैसे व किसने बनाया आदि।
5. उसके क्षेत्र फल की जानकारी लेना। इसकी वर्तमान उपयोगिता, पूर्व में उपयोगिता, उपयोगिता में बदलाव आया है, तो करणों का जानना।

6. शामलात संसाधनों के प्रबंधन के लिए क्या नियम बने थे, कैसे लागू किए जाते थे और नियमों का उलंघन करने वालों के लिए क्या किया जाता था।

7. वर्तमान में यह नियम कितने कारगर है तथा षिथिलता आई है, तो उसके कारणों पर चर्चा करना।

8. गांव के अन्य स्रोतों के बारे में जानकारी लेना एवं उपर्युक्त बिंदुओं के आधार पर चर्चा कर जानकारी को रिकॉर्ड करना।

9. शामलात संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन पर समुदाय का आगामी नियोजना पर चर्चा करना व उसे रिकॉर्ड करना।

10. कुछ मुद्दे जिन पर स्थानीय स्तर पर एक्षन हो सकता है, इसी दौरान एक्षन करना।

11. कुछ सफल केस स्टडी तैयार करना जो शामलात संसाधनों के समुदाय आधारित प्रबंधन में सीख देने वाली हो। यह सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है।

12. लोगों की बात साक्ष्य के रूप में ऑडियो–विडियो एवं लिखित में रिकॉर्ड करना।

13. संभवतः गांव रिसोर्समेप बन सके।

14. प्रतिदिन की रिपोर्ट उसी दिन तैयार होनी चाहिए एवं रिपोर्ट टीम के मुखिया को सौपनी है। इसके अतिरिक्त फोटोग्राफ, वीडिओ क्लिपिंग आदि रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के पास कंपाइल हो।

जनवरी 22, 2020 की सीएसओ बैठक में संस्थाओं के प्रमुख जिम्मदार सदस्यों द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि इस दौरान सभी साथी ध्यान रखेंगे कि हम बोलें के और लोगों की बात को सुनें अधिक। यह सहभागी रिसर्च है जिसमें समुदा द्वारा बताई गई बातों को सुनना व रिकॉर्ड करना है। फैस्लीटेषन के लिए हम कुछ उचित सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन हमारी अपनी धारणाओं, विचारों पर नियंत्रण रखना है तभी हम लोगों के विचार एवं धारणाओं को समझ पाएंगे।

नियोजन एवं पूर्व तैयारीः

जनवरी 22, 2019 को शामलात स्वाभिमान यात्रा पूर्व तैयारी बैठक में हुए निर्णय के अनुसार नागौर जिले की जायल पंचायत समिति में उन्नति की पार्टनर संस्थाल उरमूल खेजड़ी, झाड़ेली के कार्यक्षेत्र के 40 गांवों में 25 फरवरी से 5 मार्च, 2020 तक शोध यात्रा प्रस्तावित की गई थी। बैठक में हुए निर्णय के अनुसार यात्रा की पूर्व तैयारी के लिए उन्नति से तोलाराम जी एवं दिलीप सिंह 30 व 31 जनवरी, 2020 को उरमूल खेजड़ी टीम के साथ नियोजन किया एवं फिल्ड विजिट (रैकी) किया। उरमूल खेजड़ी टीम के साथ

नियोजन बनाया। मानचित्र पर सभी गांवों को अंकित किया। यात्रा के लिए चिन्हित गांवों का विजिट कर जन प्रतिनिधि, नेतृत्वषाली लोगों से संपक्र कर यात्रा के बारे में बताया गया। रात्रि विश्राम एवं भोजन व्यवस्था वाले स्थानों को देखा। गांव वार शोध यात्रा का सैड्यूल बनाया। यात्रा शुभारंभ एवं समापन का प्लान बनाया गया।

उरमूल खेजड़ी कार्यक्षेत्र जायल ब्लॉक में शामलात स्वाभिमान शोध यात्रा प्लान

दिनांक	समय 10 से 1	स्थान	2 से 3.00 बीच के गांव में विजिट	स्थान	3.30 से 6.30	स्थान	रात्रि विश्रमा	स्थान
25.2.2020	डेह (षुभारंभ कार्यक्रम सहित)		किसनपुरा	जंजलाई नाडी	खेराट	नौ तालाब	खेराट	रा.सी.सै. स्कूल
26.2.2020	जानेवा पूर्व एवं पष्चिम	कमलाई	जालनियासर	खतियाना	मीठा माजरा		मीठा माजरा	रा.उ.प्रा.वि.
27.2.2020	डोडू		कांगसिया टालनियाउ		सुरपालिया	धुरपालिया नाडी	सुरपालिया	पंचायत भवन
28.2.2020	मुंदियाउ		खाबरियाना + गुढ़ा रोहिली		काशीपुरा	गूलर नाडी	काशीपुरा	गूलर धाम
29.2.2020	खारी जोधा + गुमानपुरा		दुगोली		रोटु		रोटु	
1.3.2020	गुगरियाली		रामसर	लक्ष्मीनारायण तालाब	चावली + खारा माजरा	शिवसागर	चावली	रा.उ.प्रा.वि.
2.3.2020	तंवरा		छापड़ा + सोनेली		मांगलोद : गोट+ तेजासर + पिड़ियारा	सेहलिया तालाब	मांगलोद	सामुदायिक भवन
3.3.2010	रातंगा		खानपुर माजरा + रूणिया		बुगरड़ा	अलड़ाव नाडी	बुगरड़ा	रा.उ.प्रा.वि
4.3.2020	सुवादिया		मेरवास		धारणा		धारणा	सामुदायिक भवन
5.3.2020	तरणाउ		जायल (समापन)					

टीम ऑरियंटेषनः

फरवरी 24, 2020 को शामलात शोध यात्रा में जुड़ने वाली टीम का एक दिवसीय ऑरियंटेषन एवं फरवरी 25, 2020 से यात्रा शुभारंभ की सभी तैयारियां पूर्ण की गई।

टीम ऑरियंटेषन को उरमूल ट्रस्ट सचिव श्री अरविंद ओझा ने फैसलीटेट किया। उन्होंने शामलात शोध यात्रा के उद्देष्य को स्पष्ट किया तथा यात्रा के दौरान टीम को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर चर्चा की समझ बनाई। उन्होंने शामलात संसाधनों पर शोध करने वाली टीम को कुछ टिप्स दिएः—

हम इस यात्रा में सामाजिक शोध, सहभागी शोध करने के लिए गांवों में जा रहे हैं। अलग—अलग भौगोलिक परिस्थितियों में निवास करने वाले लोगों के सामने विविध प्रकार की प्राकृतिक, जलवायु, मौसमिक और पारिस्थितिकीय जटिलताएं रही हैं। इसी प्रकार रेगिस्तान में जीवन चलाने के लिए कठिनाइयां रही है। इन कठिनाइयों से निजात पाने के लिए लोगों ने तरीके निकाले और स्थितियों को जीवन के अनुकूल बनाने का प्रयास किया। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहा। लोगों ने जीवन जीने के तरीके निकाले। उन्होंने अपना एक कॉपिंगमैकेनिज्म बनाया। लेकिन धीरे—धीरे उन तरीकों को भूलते जा रहे हैं। कुछ गांवों में वह तरीके आज भी प्रचलन में हैं, कुछ गांवों में यह व्यवस्था टूट चुकी है। इस यात्रा में हमज ल स्रोतों एवं चारागाहों की सामुहिक व्यवस्था का संचालन गांव के लोग कैसे करते थे, उसको समझना चााहते हैं। हम कॉमन्स की समुदाय आधारित प्रबंधन व्यवस्था को समझना चाहते हैं, उससे जुड़ी और भी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। कॉमन्स का जीवन के साथ जुड़ाव को समझेंगे। इसके लिए हमारे मन में जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। सवाल होने चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे।

शामलात संसाधनों के संबंध मेंकौनसी व्यवस्थाएं समुदाय ने करी, जिससे जीवन चलता है, उसको जानना है। लोगों ने इन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए क्या नियम, कायदे बनाए उनको समझना है। जिन गांवों में आज भी यह व्यवस्था कायम है, जहां टूट चुकी, उसके असर को जानना है।

हम यह शोध इस लिए कर रहे हैं कि इससे निकलने वाले ज्ञान को अलग—अलग मंचों पर रखें और यह बता सकें कि शामलात संसाधनों की प्रबंधन व्यवस्था समुदाय ही बेहतर कर सकता है। इन संसाधनों के महत्व, आवष्यकता वृहद परिदृष्य में समझ व समझा सकें।

लोगों द्वारा बात को निकलवाने एवं रिकॉर्ड करने के लिए अलर्ट रहना होगा, साथ ही उनकी बातों, उनके ज्ञान के प्रति आस्था, विष्वास और आदरभाव रखना होगा। हम एक ही सवाल बार—बार पूछते हैं, तो बताने वाले को पता लग जाता है कि हम अलर्ट नहीं हैं। कोई एक साथी सवाल पूछाता है, उसका उत्तर मिलने से पहले ही दूसारा व्यक्ति अपना सवाल दाग देता है या पूर्व में पूछे गये सवालों को फिर से दोहराता है, यह गफलत पैदा करता है और समुदाय अपनी बात ठीक से नहीं बता पाते। इस लिए रिपोर्ट करने वाली टीम से अनुरोध है कि इस प्रकार का व्यवहार नहीं करें।

उन्होंने घोड़े और मक्खी की आंखों का उदाहरण देते हुए समझाया कि यह दोनों प्राणी नब्बे डिग्री एंगल तक की चीजों को देख सकते हैं। इसी लिए घोड़े को तांगे में जोतते हैं, तब पट्टी बांधी जाती है। वह वाइल्ड एंगल से देखता है। हमरा भी लोगों के साथ चर्चा के दौरान वाइल्ड दुष्टिकोण रखना होगा। तभी हम चारों से तरफ की चीजों को देख पाएंगे, जो दृष्य देख रहे हैं उससे चर्चा को जोड़ पाएंगे। सवाल पूछ पाएंगे।

समुदाय से शामलात संसाधनों की प्रबंधन व्यवस्था को जानने समझने की उत्सुकता, जिज्ञासा टीम के सभी सदस्यों में होना जरूरी है। जानने की उत्सुकता की चमक होनी चाहिए। यह विचार नहीं आना चाहिए कि रोज—रोज एक ही जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। जो बात निकलनी है, वह तो दो चार गांवों में चर्चा करने से

निकल गई। हमारी समझ तो बन गई। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अलग होता है, उसके विचार एवं उसका ज्ञान अलग होता है। हर रोज कुछ न कुछ नई बातें निकलती है। उत्सुकता होगी, तो नए सवाल आएंगे, जो व्यक्ति बता रहा है, उसके हाव–भाव से कुछ बात समझेंगे जिससे नए सवाल सामने आएंगे। इस लिए जरूरी है कि हम अपना सीखने का एनर्जी लेवल बनाए रखें।

शामलात संसाधनों के संबंध में सामाजिक अध्ययन कर रहे हैं तो कहीं अच्छी व्यवस्था देखने को मिलेगी, कहीं खराब व्यवस्था। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के उदाहरण मिलेंगे। कई जगह लोग बढ़–चढ़ कर अपनी बात बताएंगे, कई जगह नकारात्मक जवाब मिलेंगे। इन बातों से हमें विचलित नहीं होना, निराष नहीं होना। सकारात्मक और दोनों प्रकार के उदाहरणों से सीख बनानी है। उन्होंने साक्षरता अभियान के दौरान के एक गीत का उदाहरण दिया। इस गीत में हर बात में क्यूं भई क्यूं जुड़ता था। टोली गांव में जाती थी, तब गीत गाती थी, आसमान में इतने सारे तारे, क्यूं भई क्यूं। इस प्रकार हर बात में क्यों जोड़ कर सवाल पूछते थे। हमें भी लोगों द्वारा बताई गई बात में क्यों जोड़ना है, अर्थात उनके कारणों को जानना है। लोगों ने कहा हमारे गांव में शामलात संसाधनों की प्रबंधन व्यवस्था अच्छी है, तो क्यों ? उसके पीछे कारण क्या रहे हैं। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग कहते हैं कि हमारे गांव में शामलात संसाधन नष्ट हो गये तो क्यों। करण जानेंगे, उसी में छिपा हुआ ज्ञान बाहर आएगा।

अंत में मैं कहूंगा कि हमें हमारी धारणाओं, मान्यताओं, विचारों पर नियंत्राण रखना है। हो सकता है, हम शामलात संसाधनों की प्रबंधन व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन यहां हमें लोगों से जानना है, तो अपने विचारों को नियंत्रण में रखेंगे तभी कुछ नई बातें निकलेंगी अन्यथा हम बोलते जाएंगे, लोग हां में हां मिलाते जाएंगे।

कल 25 फरवरी, 2020 को प्रातः 9.00 बजे से डेह गांव से यात्रा का शुभारंभ करने वाले हैं। आज जितने भी प्रकार के सवाल हैं, खुलकर पूछिये। कल के बाद हमारे पास यह अवसर नहीं होगा। हालांकि प्रति दिन शाम को शेरिंग बैठक होगी, उसमें सवाल ा सुझाव दे सकेंगे, लेकिन अभी मन में जो सवाल आ रहे हैं, उनको जरूर सामने लाएं।

आरविंद जी के सेषन के बाद टीम ने नियोजन बनाया। सभी जरूरी तैयारियां पूर्ण की। नियोजन को शेयर कर फाइनल किया। माइक सैट, चार्ट पोस्टर तैयार किए। ट्रेक्टर व गाड़ी को बैनर, पोस्टर से सजाया। हर छोटी से छोटी जरूरत को पहचाना और उसकी व्यवस्था की। गीतों का संकलन किया।

यात्रा का शुभारंभः

फरवरी 25, 2020 को आरविंद जी के मार्गदर्षन में गांव डेह के तालाब पर समुदाय की बैठक कर यात्रा का शुभारंभ कया गया। उसके बाद प्रस्तावित नियोजन के अनुसार यात्रा आगे बड़ी। सभी गांवों को नियिचत समय में कवर किया गया। 5 मार्च, 2020 को जायल तालाब के आगौर में यात्रा का समापन किया गया। शुभारंभ एवं समापन वाले गांवों सहित 40 गांवों में शामलात शोध यात्रा का आयोजन पूर्ण किया गया।

सहभागिताः

सभी गांवों में समुदाय के साथ बैठकों का आयोजन शामलात संसाधनों के स्थल पर किया गया। जिन गांवों में यह संभव नहीं हो सका वहां पर समुदाय बैठक व चर्चा से पूर्व एवं कुछ गांवों में चर्चा के बाद समुदाय के साथ जल स्रोतों का विजिट कर स्थिति आकलन एवं चर्चा कर नए बिंदुओं पर चर्चा की गई।

सहभागिता में अधिकांष स्थानों पर महिलाओं एवं पुरूषों की भागीदारी रही। इसके अतिरिक्त सरपंच, वार्डपंच, ग्राम पंचायत सचिव, बुजुर्ग एवं युवावर्ग की भागीदारी रही। यात्रा में मिक्स ग्रुप की सहभागिता रही।

समुदाय के साथ चर्चा एवं शामलात संसाधनों की प्रबंधन व्यवस्था समझने के दौरान कुछ लोगों से अलग से चर्चा की गई। उनकी बात को रिकॉर्ड किया गया। उनका साक्षात्का लिया गया। कुछ बुजुर्ग महिला–पुरूष भी जुड़े जिनसे अलग से चर्चा कर शामलात के इतिहास, पुरानी प्रबंधन व्यवस्था, नियमों के बारे में चर्चा की गई।

शामलात संसाधनों की प्रबंधन व्यवस्था से निकल कर आए बिंदुः

चालीस गांवों में की गई शोध यात्रा के दौरान गांव डेह, छावाटा खुर्द, डिडियाकला, चावली, गोठ, डिडियाखुर्द, गुगरियाली, रामसर, सोनेली, खेराट और रोल 12 गांव ऐसे थे जिनमें शामलात संसाधनों की समुदाय द्वारा प्रबंधन व्यवस्था मजबूत है। इस मजबूत व्यवस्था पर समुदाय के कथन एवं हावभाव में शामलात संसाधनों की प्रबंधन व्यवस्था से स्रोतों की सुरक्षा का गर्व भी है। ''डेह, गोठ, रामसर व रोल में लोगों ने बताया कि हमने पानी के संकट को लेकर आज तक किसी को अर्जी नहीं दी है और आने वाले सौ वर्षों में पानी के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे।''

जल स्रोत व पानी की शुद्धता संबंधी व्यवस्थाः

जल स्रोत की शुद्धता बनी रहे, पनी स्वच्छ रहे, इसके लिए तालाब में नहाना, कपड़े धोना, हाथ–मुंह धोना मना है। अगर ऐसा करते हुए किसी को देखते हैं तो गांव के चौपाल में चर्चा होती है, नियम तोड़ने वाले को चौपाल में बुलाया जाता है एवं गांव के लोग दंड, जुर्माना तय करते हैं वह भुगतना पड़ता है।

जल स्रोत के आगौर में लघुषंका, शौच करना मना है तथा इस नियम की जानकारी गांव के सभी लोगों को

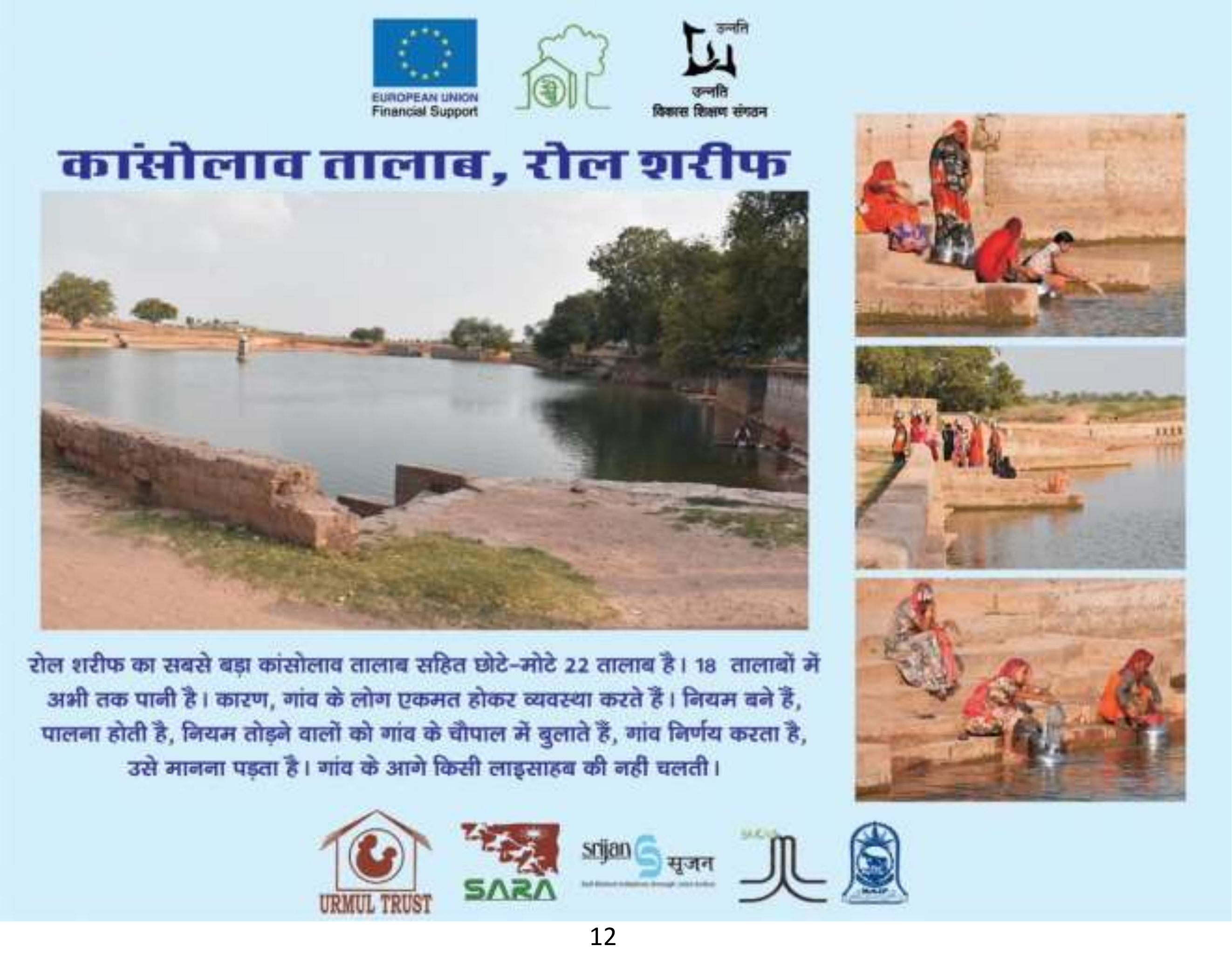

है। गांव शादी अथवा सामाजिक समारोह में बाहर से लोग आते हैं तो जिन परिवारों के यहां आयोजन है, उनकी जिम्मेदारी है कि आगंतुकों को आगौर के नियमों की जानकारी देने की जिम्मेदारी है। अगर नियम टूटता है, तो संबंधित परिवार को श्रमदंड, अर्थदंड भुगतना पड़ता है।

यह दंड गांव चौपाल में गांव के लोग एकत्रित होकर तय करते हैं। श्रमदंड के तहत समुदाय द्वारा तय किए अनुसार व्यक्ति को तालाब से मिट्टी निकालने, जहां गंदगी करी है, उसे उठा कर बाहर फैंकने जैसा होता है। बाहर से आए नियमों से अनजान व्यक्ति से गंदगी वाली जगह साफ कराते हैं।

आगौर में पशुओं का गोबर आदि को बरसात से पहले मजदूर लगाकर एकत्रित कराया जाता है तथा खाद की बोली लगाकर निलाम करते हैं, यह पैसा सामाजिक कार्यों पर खर्च करते हैं। कुछ गांवों में गांव के लोगों को छूट दी जाती है कि जिसको खाद चाहिए वह आगौर साफ कर खाद अपने खेत में ले जाए। अर्थदंड से आए पैसों से सांड के लिए चारा, आवारा पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करने की बात अधिकांष जगहों पर सामने आई।

दो डिडिया खुर्द व रामसर गांवों में यह व्यवस्था देखने को मिली कि तालाब के आगौर में 12 महीनों के लिए एक व्यक्ति रखते हैं, जिसका काम आगौर की खाद, कचरा एकत्रित करना होता है। साथ में वह टेंकर वालों का ध्यान रखता है, आगौर की सुरक्षा का ध्यान रखता है। हवा से या अपने आप टूट कर गिरे पेड़ों की टहनियों को एक जगह एकत्रित करनाता है। मानसून से पहले उसकी बोली लगाई जाती है। उससे आए पैसों से मजदूरी श्रमिक की मजदूरी का भुगतान करते हैं। बचे हुए पैसों से गौषाला में चारा खरीदते हैं।

वर्ष में एक बार मानसून से पूर्व श्रमदान अथवा आगौर से खाद ले जाने की छूट के तहत पूरा आगौर साफ किया जाता है। श्रमदान के लिए पूरे गांव में सूचना दी जाती है तथा प्रत्येक परिवार से एक सदस्य का आना सुनिष्चित किया जाता है। लोगों ने बताया कि पूर्व में जिन परिवारों की उपस्थिति नहीं होती थी,

EUROPEAN UNION
Financial Support

उन्नति
विकास शिक्षण संगठन

तालाब और उसके बचाव के तरीके

- सफाई को लेकर ठोस नियम है, जैसे तालाब में नहाने की मनाही, पशु का पानी में नहीं जाना, गांव का गंदा पानी नहीं मिले, शौच, गोबर या पेड़ों के कचरे को पानी के आगोर में नही आने देना आदि
- विशेषकर आगोर को अतिक्रमण से मुक्त रखा जाये
- पानी की अवैध बिक्री पर अकुंश है, पानी ले जाने के नियत नियम है
- ग्रामीणों की रुची आवश्यक है, और कृत्रिम संसाधनों को प्राथमिकता ना दे।
- किसी एक के द्वारा नियम को तोडने पर तत्काल कार्यवाही होती है जिससे बाद में वो परम्परा न बने
- सड़क या अन्य कार्य के उपयोग के लिए मुरड खोदने के लिए जेसीबी के उपयोग पर रोक है और उसके बाद में उसमें बने गढ्ढे को तत्काल भरते है
- आवक के चेनल को हर वर्ष ठीक करते है, जिससे मिट्टी ना आये
- नियमित तौर पर निगरानी होती है। यदि पूरा गांव उस पर ध्यान दे तो व्यवस्था बिगडने के आसार कम रहते है।
- मजबूत पाल, उसमें कमजोरी आती है तो उसको तत्काल ठीक किया जाता है
- निर्माण कार्य के दौरान गांव के लोगों का साथ होना जरूरी है जिससे ये बताया जाये कि किस दिशा में किस प्रकार का कार्य करवाना है ये नही होता है तो भराव क्षमता पर असर होता है
- खुदाई के कार्य के समय उसके तल को खराब करने के मामले काफी सामने आये है। उस समय ये जरूरी है कि उसकी पानी को रोकने वाली परत को नुकसान ना हो। ऐसा होने पर तालाब बेकार हो सकता है।
- नियमित तौर पर उसकी खुदाई और सफाई की जाये।
- नई पीढी के साथ समय समय पर तालाब के बारे में चर्चा होना जरूरी है। यदि वो इसे सीख के रूप में आगे नही बढा पायेगी तो भी नुकसान की सम्भावना है।

जिन तालाबों को शोध यात्रा के दौरान देखा है उसमें उक्त बातों का ख्याल रखा गया है वो तालाब साल भर पानी का भराव रखते है।
डेह, रोल, डिडिया, रामसर, गोठ, गुगरियाली जैसे कुछ तालाब कई सालों से खाली नहीं हुए हैं।

URMUL TRUST SARA srijan सृजन

उनसे श्रमदिवस के पैसे लिए जाते थे। पानी भरने पर भी रोक लगाई जाती थी। लेकिन अब जबर्दषती नहीं करते। समय बदल गया। इस लिए स्वैच्छा से जो लोग आते हैं, वही श्रमदान करते हैं। तालाब के लिए श्रमदान करना धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, इस लिए महिलाएं श्रमदान अधिक करती हैं।

आगौर में छायादार वृक्षों को छोड़ कर बिलायती बवूल व अन्य झाड़ियां काट कर साफ करते हैं जिससे पानी आवक में रूकावट नहीं आए और पानी के साथ बह कर पत्ते टहनियां नहीं आए, पानी साफ व शुद्ध रहे।

आगौर अथवा कई बार तालाब में जंगली व पालतु पशु मर जाते हैं। जानकारी मिलते ही गांव के मुखिया लोग एकत्रित होते हैं तथा उसे बाहर डालने की व्यवस्था कराते हैं। गांव में मृत पशुओं को उठाने वाले समुदाय हैं जिनको बुलाते हैं तथा पशु उठाने का मेहनताना देते हैं। पूर्व में इन परिवारों के लिए खलाक व्यवस्था थी जिसके तहत फसल कटाई के समय गांव प्रत्येक परिवार निर्धारित मात्रा में मृत पशु उठाने वाले परिवार को अनाज देते थे। इसे खलाक कहा जाता था। वर्तमान में यह व्यवस्था कमजोर हो गई। कुछ परिवार देते हैं। मृत पशु उठाने का पैसा देते हैं।

जहां पानी की अच्छी व्यवस्था है, लोग पशुपालन के लिए भैंस भी रखते हैं। लेकिन भैसों को तालाब में नहीं जाने देते। मुख्य स्रोत में तो कभी नहीं। इस लिए कुछ नाडे होते हैं, वहां पर भैस पानी के अंदर जा सकती है।

बड़े तालाबों रामसर, गुगरियाली, रोल, डिडियाखुर्द जैसे बड़े तालाबों के आगौर बड़े हैं। हालांकि समुदाय को राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार जानकारी नहीं थी लेकिन 500 बीघा, 1200 बीघा तक बताया। गहराई भी 50 फीट, 100 फीट से भी अधिक। इन तालाबों से चार से पांच साल में एक बार मिट्टी निकालने का काम होता है। लोगों ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा का बजट नहीं भी आए तब भी खुदाई कराते हैं। तालाबों की उपजाऊ मिट्टी लोग अपने खेतों में डालते हैं, वह खुदाई कर ले जाते हैं। मिट्टी निकालने का निर्णय गांव के लोग लेते हैं।

आगौर तालाब का जीवन है। आगौर जितना बड़ा और साफ सुथरा, उतना ही तालाब बड़ा व साफ सुथरा। लोगों को आगौर की सीमा का ज्ञान है। गुगरियाली, डिडियाखुर्द, डिडियाकला, रामसर, झाड़ेली में लोगों ने बताया कि आगौर के चारों तरफ खाई लगाई हुई है जिससे पता चलता रहे कि यह आगौर की सीमा है। सीमा और निषानदेही होने से अतिक्रमण नहीं होता। कुछ गांव ऐसे भी देखे जिनके आगौर पर कब्जे हो गये तथा नाडा, तालाब अनुपयोगी हो गये।

ऊंट गाड़े से टंकी भरते समय गाड़े के टायर पानी से बाहर रखने का नियम है। इसी प्रकार कुछ गांवों में टेंकर से पानी ले जाने की छूट है, वहां पर ट्रेक्टर–टेंकर के टायर पानी के अंदर ले जाने मना है। डेह में बताया गया यह नियम सभी 12 तालाबों में एक जैसा देखा गया। टायर पानी में डालने पर जुर्माना लगाया जाता है।

उपयोग की व्यवस्थाः

EUROPEAN UNION
Financial Support

उन्नति
विकास शिक्षण संगठन

" तालाब की करामात है –
आस–पास के गांवों के लोग कहते हैं,
बेटी देनी है तो डेह में, पानी का फोड़ा नहीं भुगतेगी "

लक्ष्मण जी बारूपाल, पूर्व सरपंच, डेह

URMUL TRUST SARA srijan सृजन Self-Reliant Initiatives through Joint Action SMVS BAIF

जल स्रोतों एवं चारागाहों से मिलने वाले संसाधनों के उपयोग की प्रबंध व्यवस्था एवं उसके नियम बने हुए हैं। इन नियामों को तोड़ने पर सामाजिक, आर्थिक दंड का प्रावधान किया हुआ है।

जल स्रोत से पानी उपयोग के अलग–अलग गांवों में बने नियमों में कुछ भिन्नता के बावजूद लगभग एक जैसे हैं।

कुछ गांवों में केवल गांव के लोग पानी का उपयोग कर सकते हैं, अन्य गांवों के लागों को पानी लेने की पाबंदी है।

ट्रेक्टर टेंकर से पानी भरने की पाबंदी कुछ गांवों को छोड़ कर सभी गांवों में है। सिर घड़ा, ऊंट गाड़ा, पखाल आदि से पानी ले सकते हैं।

कुछ गांवों में दोनों प्रकार की व्यवस्था देखने को मिली। गांव के लोग ट्रेक्टर टेंकर से पानी भर सकते हैं, अन्य गांव के लोगों के लिए पाबंदी है।

तालाब में पानी की मात्रा के अनुसार कुछ गांवों में टेंकर से पानी उठाने की रोक लगाई जाती है। पानी की मात्रा कम होती है, तब टेंकर से पानी नहीं लेते।

दूसरे गांव में शादि अथवा धार्मिक, सामाजिक समारोह होता है तो उन्हें पानी लेने की छूट देते हैं। अन्य गांव में समारोह का प्रूफ जैसे विवाह है तो शादी का कार्ड, मृत्यु होने पर गांव के लोगों द्वारा पुष्टि करना आदि। झूठ बोल कर ले जाते हैं, तो जुर्माना है। उदाहरण के तौर पर बताया कि एक बार ऐसा हुआ था। पास के गांव में परिवार में किसी की मृत्यु का कह कर टेंकर ले गये। गांव में जाने उसी गांव के लोगों ने फोन कर बताया कि आपके तालाब से हमारे गांव में टेंकर भर कर आया है, लेकिन यहां तो कोई सामाजिक कार्य नहीं है। हमारे गांव के लोग गये तथा टेंकर गायों के कुंड में खाली करा कर आए।

तालाब के पानी का केवल गांव के लोग ही करेंगे ऐसी पाबंदी है, लेकिन गुढ़ारोहिली जैसे गांव भी हैं जो उदारता रखते हैं। यहां के लोगों ने बताया कि पानी प्राकृतिक संसाधन है। इंद्रदेवी का दिया हुआ उपहार है। इस लिए पानी के उपयोग के लिए किसी को इन्कार नहीं करते। यहां के लोगों का कहना है कि इस पानी पर सभी का हक है। परंतु ज्यादातर जगहों में अन्य गांव द्वारा पानी के उपयोग पर पाबंदी की व्यवस्था प्रचलन में है।

मानसून सीजन से चार माह पूर्व गांव के लोग तालाब में पानी का अंदाजा लेते हैं। अनुमान लगाते हैं कि वर्तमान उपयोग के तरीके से चारमाह का पानी है, अथवा नहीं। अगर आगामी चारमाह तक का पानी नहीं है, तो केवल मटके पानी भरने की छूट रखते हैं।

पानी का अनुमान लेते समय पालतु एवं आवारा पशुओं, जंगली जानवरों एवं पक्षियों के पानी के हिस्से का ध्यान रखते हैं। जैसे–जैसे मात्रा घटती है, मटके से पानी लेना भी बंद कर देते हैं, केवल जानवरों व पक्षियों के लिए पानी छोड़ देते हैं।

EUROPEAN UNION
Financial Support

उन्नति
विकास शिक्षण संगठन

"गांव की सभी महिलाएं अमावश को श्रमदान करती हैं, आगौर साफ करती हैं और खाद एकत्रित कर अपने खेतों में डालती हैं।"

केसर देवी डिडिया कलां

URMUL TRUST SARA srijan सृजन

विलेज इंस्टीट्यूषनः

शामलात संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबंधन की कोई औपचारिक कमेटी नहीं बनी है, लेकिन अनौपचारिक कमेटियां बनी हुई है। अलग–अलग गांवों में अलग प्रकार की संगठनात्मक संरचना देखी। कुछ गांवों में जातिवार मुखियाओं को मिलकार कमेटी बनी है जो जल स्रोतों व चारागाहों के संबंध में निर्णय करती है। जरूरत पड़ने पर गांव की आमसभा बुलाते हैं। इन समितियों में महिलाओं की भागीदारी नहीं है। आमसभा में भी महिलाओं की भागीदारी नहीं होती।

गुढारोहिली के लोगों ने बताया कि बहुत से नियम और शामलात संसाधनों की प्रबंधन व्यवस्था पूर्वज बनाकर गये थे, उसी को लागू कर रहे हैं। कई बार मुखिया गांव की चौपाल में बैठकर निर्णय करते थे, गांव को अवगत कराते थे, निर्णय सभी को मानना पड़ता था। जरूरत पड़ने पर गांव की आमसभा बुलाते थे और उसमें निर्णय लिए जाते थे। समस्या आने पर समाधान के लिए नए नियम बनते जाते और पुराने नियमों के साथ जुड़ जाते।

डिडियाखुर्द में किशोर जी, ज्ञानाराम जाट ने बताया कि वर्गवार 15 से 20 लोग निर्णय लेते हैं तथा गांव को अवगत करा देते हैं। होली, दीपावली के आसर पर आमसभा करते हैं। खाद एवं सूखी लकड़ियों की निलामी करते हैं। हिसाब सबके सामने रखते हैं। तालाब की देखरेख व आगौर की सफाई के लिए रखे गये व्यक्ति को मानदेय देते हैं। शेष बची हई राषि से आवारा एवं गौषाला के पशुओं के लिए चारा खरीदते हैं।

डिडियाकला में लोगों ने बताया कि कोई तय कमेटी नहीं है। नियम बने हुए हैं। पूरे गांव को पता है। कोई नियम तोड़ता है तो जिस व्यक्ति को पता चलता है वह गांव की चौपाल में आकर बताता है। गांव के लोगों को एकत्रित करते हैं, दंड, जुर्माना लगाने का निर्णय करते हैं।

धारणा गांव की बैठक में जोरांदेवी ने बताया कि गांव के कुछ निर्णायक लोग बैठक कर निर्णय लेते हैं। यह परंपरा पहले से चली आ रही है। लोगों द्वारा तय करके एक व्यक्ति को तालाब एवं आगौर की देखभाल, गोबर कचरा, अपने आप टूट कर गिरे पेड़ों की टहनियां व शाखाएं एक जगह एकत्रित करता है। निलामी के दिन बड़ी मीटिंग करते हैं तथा उसी दिन निर्णय लिए जाते हैं। अब यह व्यवस्था कुछ कमजोर हुई है। घर–घर टांके हो जाने के कारण तालाब व आगौर की देखभाल से ध्यान हट गया है। सीमाज्ञान नहीं होने के कारण लोग आगौर, गौचर की जमीन पर कब्जा करने लगे हैं। कब्जा करने वाले कुछ निर्णायक लोग भी शामिल हैं, जिस कारण से बात दब जाती है।

क्षेत्र का डेह तालाब सबसे बड़ा है। नियम कायदे बने हुए हैं तथा क्रियाषील हैं। लेकिन औपचारिक कमेटी नहीं है। वर्तमान सरपंच लक्ष्माण जी पे बताया कि ग्राम पंचायत व गांव के मानीजते 10–12 लोगों की कमेटी है। नियमों की पालना करने–कराने में पूरा गांव एकमत रहता है।

झाड़ेली में लोगों ने बताया कि गांव नेतृत्वषाली लोग सरपंच मिलकर निर्णय लेते हैं तथा पूरे गांव को अवगत कराते हैं। तालाब में पानी कम होता है तब टेंकर भरना बंद करते हैं। तालाब के आस–पास की ढाणियों व पशु–पक्षियों के लिए पानी छोड़ते हैं। आगौर से लकड़ी काटना मना है। खेजड़ी की छंगाई पर भी रोक है। किसी चारा लेना है तो पत्ते हाथ से सूंत कर (अंगूलियों पर चमाड़ा आदि लपेट कर टहनियों से पत्ते तोड़ना) ले जा सकते हैं। लोगों ने बताया कि पुराने समय में खेतों से भी खेजड़ी की छंगाई करना

मना था। गांव के जागीदार षिवदानसिंह के समय की बात है, वो छंगाई करने वालों की कुल्हाड़ी जब्त कर लेते थे। अब व्यक्तिगत खेतों में छंगाई पर रोक नहीं है, लेकिन शामलात में अभी भी यह रीत चली आ रही है। लोगों द्वारा बताया गया कि जागीरदारी के समय इस भूमि पर माजरा गांव के लोग अपना अधिकार जमाते थे, जब कि झाड़ेली वाले अपनी दावेदारी दिखाते थे। एक बार माजरा वालों ने बेरा सींचने वाला भूण बनाने (लकड़ी का गोलाकार पहिया जिसके जरिये रस्सी कुएं में जाती थी) बनाने के लिए खेजड़ी का बड़ा पेड़ काट लिया तथा दोनों गांवों में विवाद हो गया। मामला राजा के पास पहुंचा तथा उन्होंने निर्णय कर यह भूमि झाड़ेली वालों के हक में दे दी। सैटलमेंट के समय राजस्व रिकॉर्ड में हमारे गांव में शामलात के तौर पर दर्ज करावा ली। यह बात राव की बही में लिखी हुई है। राव जब आता है, तब बताता है।

गुढारोहिली में आगौर से लकड़ी काटना, अपने आप टूट कर गिरी लकड़ियां ले जाना, पेड़ों की टहनी तक काटना मना है। काटने पर जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माना गांव के लोग तय करते हैं। लेकिन कोई औपचारिक कमेटी नहीं है। गांव के मुखियाओं ने जो तय किया वही लागू होता है। बुजुर्गों द्वारा चलाए गये नियमों का पालन करते हैं, जरूरत पड़ते पर नए नियम बनाते हैं। पहले हमारी इस जमीन पर गुगरियाली के लोग अपना हक जमाते थे। बाद में आस–पास के गांव एकत्रित हुए तथा यह जमीन हमारे हक में आई तथा सेटलमेंट के दौरान हमने अपने गांव के रिकॉर्ड में दर्ज कराली।

गांव की कोई औपचारिक कमेटी नहीं है। निर्णयों का लिखित दस्तावेज या रिकॉर्ड नहीं है। सारा काम मौखिक होता है। सदस्यता सुनिष्चित नहीं है। महिलाओं की भागीदारी नहीं है। लेकिन प्रबंधन व्यवस्था में जो निर्णय होते हैं, जो नियम बनते हैं, उन्हें लोग मानते हैं। शोध यात्रा के दौरान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास समिति, ग्राम चारागाह विकास समिति के प्रावधान की जानकारी सभी गांवों में दी गई तथा यह एक संवैधानिक समितियों के गठन के लिए प्रेरित किया गया।

अनौपचारिक समितियां प्रबंधन व्यवस्था तक सीमित है। शामलात संसाधनों के विकास के लिए क्या करना है, इस पर ज्यादा विचार नहीं होता। गांव वालों के बताए अनुसार ग्राम पंचायत कोई प्लान बनाकर भेजती है और स्वीकृति मिलती है, तो काम ठीक से हो, यह ध्यान रखते हैं, लेकिन कभी सुनियोजित ढंग से गांव के लोगों या अनौपचारिक समितियों ने विकास का प्लान बनाकर ग्राम पंचायत को नहीं दिया।

परिस्थितियों ने किया प्रेरितः

तालाब के पानी को ज्यादातर गांवों में लोगों ने अमृत की श्रेणी में रखा। भूजल खारा व अत्यधिक फ्लोराइड वाला होने के कारण उसे पीने योग्य नहीं माना। डेह की बैठक में लोगों द्वारा बताई गई बात का अधिकांष गांवों में जुड़ाव मिला। डेह में लोगों ने बताया कि कुछ साल पहले जब तालाब की भराव क्षमता कम थी और पूरे 12 महीने पानी पूरा नहीं होता था तब हम बेरों का पानी पीते थे। कुई साल पीने पर घुटनों में दर्द होने लगा। डॉक्टर को दिखया तो उन्होंने बताया कि यह समस्या पानी में फ्लोराइड के कारण है। उसके बाद हमने तालाब की व्यवस्था को फिर से संभाला। इसको गहरा किया। आगौर को ठीक किया। अब हम यही पानी पीते हैं। नहर का पानी आता है, तब भी पीने के लिए तालाब का पानी उपयोग करते हैं। तालाबों की प्रबंधन व्यवस्था को बनाए रखने में भूजल की गुणवत्ता ने भी प्रेरित किया है।

**"शामलात तो म्हारै कनलै गांवां में ई है,
पण बै तिरसाया मरै, म्है जल स्त्रोत री व्यवस्था बणाई,
पाणी खातर कोई रा मोहताज कोनी"**

ग्रामीण समुदाय, गांव छावटा खुर्द

धार्मिक मान्यताएं व सामाजिक धारणाएं:

सभी तालाबों व नाडियों के किनारों पर छोटे–बड़े मंदिर, धार्मिक स्थल बने हुए हैं। प्रबंधन व्यवस्था ओर नियमों को आस्था के साथ जोड़ कर भी प्रचारित किया गया। साफ–सफाई व शुद्धता वाले नियमों के साथ–साथ किसी संत महात्मा का भी नाम तालाब, औरण व गौचर के साथ जोड़ा गया।

डिडियाखुर्द तालाब के किनारे सुंदर षिव मंदिर एवं महात्मा की बगीची बनी हुई थी। गांव वालों ने बताया कि यहां पर कांसलाव महाराज हुए जिन्होंने तपस्या की। नागपंचमी को मेला लगता है तथा आगौर में बनी झाड़ियों पर सांप दिखते हैं। उस दिन बहुत सारे सांप पेड़ों पर दिखते हैं। लोग उनके दर्षन करते हैं। यह कांसलाव जी महाराज की करामात है। इस लिए आगौर से पेड़ व टहनियां काटना मना है। काटने पर कांसलाव महाराज दंड देते हैं। इसी कारण से आगौर में कोई गंदगी नहीं करता।

खाबड़ियाना गांव में बैठक के दौरान लोगों ने नाडी के बारे में बताया कि यह अब गांव के गंदे पानी को डालने के उपयोग में लाते हैं। दो तीन साल पहले तक इसकी मिट्टी देवताओं को चढ़ाते थे, अंतिम संस्कार में दाह संस्कार होने के बाद इस नाडी की मिट्टी डालते थे ताकि मुक्ति हो जाए। हमारे गांव में सुखसागर जी महत्मा हुए। पहले वो कतारिया (ऊंटों की कतार में समूह में चलना) थे और धाड़े (डकैती) डालते थे। इस गांव में आए तब सुख सागर जी अपने साथियों से अलग हो गये तथा उन्होंने यहां तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। देवलोक होने के बाद उनके स्थान पर मंदिर बना दिया। जैष्ठ माह में उनका जागरण लगाते हैं। उन्होंने गांव वालों को कहा था कि जब भी मेरी पूजा करो, इस तालाब की मिट्टी मंदिर में चढ़ादेना, गांव में सुख शांति बनी रहेगी। गांव में आग लगने पर सुख सागर की नाम लेते ही आग शांत हो जाती थी। दाह संस्कार में शामिल होने वाले लोग शमषान जाते समय नाडी से एक मुट्ठी मिट्टी नाडी में से जाते थे और दाह संस्कार संपूर्ण होने के बाद नाडे की मिट्ट डालते थे। ऐसी मान्यता है कि नाडे की मिट्टी से आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन पिछले तीन सालों से यह बंद हा गया। धीरे–धीरे आस्था टूट रही है। इसी कारण हमारी यह नाडी खराब हो गयी।

रामसर में तालाब के किनारे बहुत से मंदिर बने हुए हैं। रामसर ताबात किनारे बैठक में लोगों ने बताया कि हमारे गांव सावंलदास जी संत थे। उनको एक राम में सपना आया कि यहां पर एक मूर्ति दबी हुई है। उन्होंने गांव वालों को एकत्रित किया तथा उस जगह को खुदवाया तो चारभुजा की मूर्ति निकली। उस समय यहां किसानों की जमीनें थी। मूर्ति का पता चला तब जोधपुर के राजा जसवंत सिंह इस मूर्ति को जोधपुर में स्थापन करने के लिए गांव में आए तथा रथ में डाल कर मूर्ति ले जाने लगे। 10 बैल जुतने के बाद भी रथ चला नहीं। तब उनको किसीने बताया कि यह मूर्ति यहीं रहना चाहती है। उसके बाद यहीं पर मंदिर बनाकर मूर्ति की स्थापना की गई। यहां के किसानों को 6 किलोमीटर दूर भूमि आवंटित की गई तथा यहां तालाब बनाया गया। इस तालाब के पानी में जीव नहीं पड़ते। महीने में दो बार ग्याहरस व अमावष को आगौर की सफाई करते हैं। आगौर में किसी का घर नहीं है तथा घरों का पानी आगौर या तालाब नहीं आने देते। 20 साल बाद पिछले साल हमने टेंकरों से तालाब को खाली कराया तथा इसकी मिट्टी निकाल कर सफाई की। 12 फुट मिट्टी निकाली गयी। किसान मिट्टी निकाल कर अपने खेतों में ले गये। सरकार का एक पैसा खर्च नहीं हुआ। धार्मिक आस्था के कारण लोग इस तालाब से जुड़े हुए हैं तथा देखभाल करते हैं। नियमों को भी धार्मिक आस्था के कारण मानते हैं। टेंकर भरने की मनाही है। पहले यहां पर छूट

EUROPEAN UNION
Financial Support

उन्नति
विकास शिक्षण संगठन

कुंभाराम जी खुदवाया था डिडिया खुर्द का कुंभराव तालाब

- तालाब गांव पलिंडा है। इससे पूरे साल शुद्ध और स्वच्छ पानी मिलता है। तीस साल में तालाब सूखा नहीं है। हमारे गांव की शोभा है। इसको ठीक रखना हमारा फर्ज है।
- सुरक्षा और संरक्षण के लिए बुजुर्गो द्वारा सात सौ साल पहले बनाए नियमों की पालना करते है। नियमों को बरकरार रखने के लिए 20 लोगों की कमेटी बनाई हुई है। नियम रजिस्टर में लिखे हुए हैं।
- भैंसों को तालाब के अंदर नही जाने देते, स्नान करना मना है, टैंकर नही भर सकते। शौच जाने पर जुर्माना लगता है। गांव में बारात या बाहर से लोग आते हैं तो पहले सूचना करते हैं कि आगौर में मत जाना। आगौर से मिट्टी खोदना मना है।
- बरसात से पहले प्रत्येक घर से एक व्यक्ति तालाब की मिट्टी निकालने, आगौर को बुहारने के लिए श्रमदान करते है। गोबर, कचरा, लकड़ी एकत्रित कर निलाम करते है, प्राप्त पैसा गांव के सांड या पक्षियों के लिए चुगा डलवाते हैं।

URMUL TRUST SARA srijan सृजन Self-Reliant Initiatives through Joint Action SMGVS BAIF

थी। सौ–सौ टेंकर रोज भरते थे। तालाब सूखा देते थे। हम गांव वालों ने टेंकर बंद करवाए। तीन–चार बार पुलिस कार्यवाही भी करनी पड़ी, तब जाकर नियंत्रण हो पाया। समुदाय द्वारा देखरेख के साथ–साथ धार्मिक आस्था का भी सहारा लेते हैं ताकि तालाब की शुद्धता व प्रबंधन बना रहे।

सामाजिक मान्यताएं, धारणाएं व गर्वः

शामलात शोध यात्रा के दौरान देखा गया कि प्रत्येक गांव के लोग अपने तालाब व शामलात संसाधनों को पूरे खंड में एक नंबर का मानते हैं। उनको अपने शामलात संसाधनों व जल स्रोतों पर गर्व है। अपने गांव का सामाजिक स्टेटस प्रदर्षित करते हैं। जिन गांवों में यह व्यवस्था टूट गयी तथा शामलात संसाधन बर्बाद हो गये, वो अपने इतिहास से गौरान्वित होते हैं। कहते हैं, हमारे गांव जैसी व्यवस्था पूरे विकास प्रखंड में नहीं थी। लेकिन अब टूट गई, इस लिए दूसरे गांव के स्रोत एक नंबर पर आ गये।

तालाबों के साथ अपने पूर्वजों के नाम का जुड़ाव होने से भी गर्व होता है और उसे ठीक रखने की प्रेरणा मिलती है। डिडिया कलां में विष्नाई नाडा विष्नाई महिला के नाम से बना। बताते हैं प्रारंभ में उन्होंने इसकी खुदाई चालू की थी, बाद में पूर्वजों ने तालाब बना दिया। यह उनकी यादगार है। डिडिया खुर्द में कुंभराव तालाब कुंभाराम नामक व्यक्ति ने खोदना प्रारंभ किया, फिर पूरा गांव जुटा और इतना बड़ा तालाब हमें विरासत में मिला है। हरेक गांव में बने तालाब का कोई न कोई नाम है तथा नाम के पीछे कोई इतिहास, कहानी जुड़ी हुई है। जिन्होंने बनाना प्रारंभ किया एवं उसके बाद बनाने में जो लोग जुटे उनके वंषज आज भी गांव में हैं तथा अपने पूर्वजों के नाम के कारण तालाबों की देखभाल में लीडरोल लेते हैं।

डेह सहित बारह गांवों में बड़े तालाब एवं उनकी प्रबंधन व्यवस्था को गांव के लोग संभाले हुए हैं तथा सभी ने एक बात समान रूप से कही। डेह के लक्ष्मण जी ने बताया कि आस–पास के लोग कहते हैं कि बेटी देनी है, तो डेह में दो। उसको पानी का मटका लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इस बात को सभी गांवों ने दोहराया। ऐसा नहीं है कि जिन गांवों में शामलात संसाधन बर्बाद हो गये या अनुपायोगी हो गये वहां पर लड़के कुआंरे हैं। लेकिन यह मान्यता उन गांव के लोगों का सामाजिक स्टेटस बनी हुई जो अपने शामलात संसाधनों को संभाले हुए हैं।

जमीन की किस्म और सीमाज्ञान नहीं होनाः

डिडिया खुर्द को छोड़कर सभी गांवों में लोगों को अपने शामलात संसाधनों की भूमियों की किस्म एवं राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर मात्रा व सीमा का ज्ञान नहीं है। अनुमान से बताया कि लगभग इतने बीघा। सीमा कहां तक इसका पूरा ज्ञान नहीं था। डिडियाखुर्द के लोगों ने सीमाज्ञान कराया तथा उसकी सीमा के चारों तरफ खाई लगाई। गांव के हरेक व्यक्ति को पता है कि शामलात कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है। तालाब पर एक बोर्ड भी लगा था, जिस पर भूमिका विवरण, किस्म व मात्रा लिखी हुई थी। बाकी गांवों के तालाबों में भी आगौर के चारों तरफ खाई देकर निषान किया हुआ है लेकिन जितना खाली पड़ा था, उतने पर निषानदेही कर दी। उस निषानदेही में किसी को अतिक्रमण नहीं करने देते।

भूमि की किस्म क्या है, यह जानकारी बहुत कम थी। औरण, गौचर, आगौर की अलग–अलग पहचान नहीं हो पाई। नाडा तालाब औरण गौचर में बना है या लंबे चौड़े आगौर में पानी की आवक के साथ चराई में

उपयोग करते हैं, इसकी जानकारी नहीं है। उसी को आगौर, गौचर, औरण बताते हैं। लेकिन नियम सभी में औरण जैसे हैं। पेड़ों की कटाई–छंगाई पर रोक है, लकड़ियां काट कर नहीं ले सकते। निलामी की व्यवस्था है। पषु चराई कर सकते हैं।

अनुकूल भूगर्भीय संरचना:

जिन 12 बड़े तालाबों का वर्णन किया गया है तथा लोगों आस–पास के और भी तालाब बताए जहां यात्रा का आयोजन नहीं हुआ था। काठौती गांव का नाम आया जहां बड़ा तालाब है। डेह, रामसर, रोल, डिडियाकला, डिडियाखुर्द में लोगों का कहना था कि बारहोमास पानी रूकने का कारण भूगीर्भीय संरचना भी है। पुरखों ने ऐसे स्थानों की खोज कर तालाब बनाया जहां बड़ा पक्का ताल वाला आगौर और जमीन में क्ले मिक्स मुरम हो। तालाबों की गहराई 30 फुट लेकर 70 फुट तक बताई गयी। बुजुर्गों के पास ज्ञान था और उन्होंने ऐसे स्थानों का चयन किया जो नाडों व तालाबों के लिए उचित हो।

रेतीली जमीन वाले क्षेत्रों में नाडे अधिक हैं। नाडों में तीन माह से अधिकतम छःमाह तक पानी रूकता है। जमीन के नीचे मुरम व क्ले की पट्टी नहीं है, इस लिए पानी कम रूकता है। आगौर प्रर्याप्त है, लेकिन मिट्टी वाले आगौर होने के कारण आवक कम रहती है। शोध यात्रा के इन चालीस गांवों में दो प्रकार के क्षेत्र थे। आधे गांव जहां रेतीली भूमि, रेत के धोरों वाली जमीन व आधे गांव जहां मगरे (पक्के ताल वाली जमीन) वाली जमीन। मगरे वाली जमीन पर तालाब अधिक थे।

आवारा पशुओं की व्यवस्था:

आवारा पशुओं के कारण खेती में उजाड़ का संकट सभी जगहों पर है। लेकिन नागौर जिले में आवारा पशुओं के लिए नई प्रकार की व्यवस्था देखने को मिली। सभी गांवों या दो तीन गांवों के बीच एक गौषाला बनाई है। खेती के समय में सभी आवारा पशुओं को गौषाला में डाल देते हैं तथा जन सहयोग से राषि एकत्रित कर उनके चारे की व्यवस्था करते हैं। इससे खेती में उजाड़ नहीं होता।

आवारा पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था जन सहयोग के अतिरिक्त आगौर से खाद की निलामी से प्राप्त राषि का भी उपयोग कुछ गांवों में करते हैं। इसके अतिरिक्त जागरण लगाते हैं तथा जागरण में आए पैसों से भी चारे की व्यवस्था करते हैं।

कुछ गावों में आवारा पशुओं को चराने के लिए खेती के सीजन में ग्वाला रखते हैं। ग्वाला गायों को शामलात में चराता है, वहीं पर पानी पिलाता है तथा शामलात से बाहर नहीं निकलने देता। खेती का काम पूरा होने के बाद उन्हें खुला छोड़ देते हैं।

जल संसाधनों का विकास व प्रबंधन, चारागाह विकास का काम नहीं:

जिन गांवों में शामलात शोध यात्रा की, उन गांवों में किस्म व सीमाज्ञान भले ही नहीं हो लेकिन जितनी शामलात है, उसका आगौर और चारागाह के रूप में उपयोग होता है। जल संसाधनों का विकास और प्रबंधन की कमजोर, मजबूत दोनों प्रकार की व्यवस्था देखने को मिली। जहां कमजोर हैं, वहां शामलात भूमियां व जल संसाधन है, उपयोगिता कम हुई है। जहां उपयोगिता बनी हुई है वहां भी बड़े शामलात हैं।

लेकिन इन शामलात संसाधनों में जलस्रोतों के विकास के लिए महात्मा गांधी नरेगा से हर साल प्लान बनता है, चारागाह विकास के लिए प्लान नहीं बनता। तालाबों के आगौर और चराई वाले क्षेत्रों पुराने पेड़ पौधे तो दिखाई दिए, लेकिन नए पेड़–पौधे नहीं दिखे। रेतीली भूमि वाले क्षेत्र व मगरे वाले दोनों ही क्षेत्रों में सेवण, धामण, फोग व बोरड़ी समाप्त हो गई। लोगों ने चर्चा में बताया कि पहले यह घास बहुत होती थी, लेकिन अब समाप्त हो गयी। कारण पता नहीं। अब शामलात में मानसून के सीजन में ज्यादातर गंठिया, झेरणिया, भुरट घास होता है।

शामलात शोध यात्रा समुदाय की भागीदारी का विवरण :

क सं	गांव का नाम	समुदाय की भागीदारी		
		पुरूष	महिला	कुल
1	डेह	40	30	70
2	किसनपुरा	30	15	45
3	खैराट	25	05	30
4	जानेवा पूर्व व पष्चिम	13	37	50
5	जालनियासर	20	45	65
6	मीठा माजरा	58	0	58
7	डोडू	21	0	21
8	कांगसिया	43	1	44
9	टालनियाउ	60	1	61
10	सुरपालिया	14	20	34
11	मुदियाउ	12	24	36
12	खाबड़ियाना	20	40	60
13	गुढारोहिली	35	47	82
14	गुगरियाली	23	11	34
15	चावली व मीठा माजरा	43	53	96
16	झाड़ेली	20	15	35
17	रामसर	08	27	35
18	तवंरा	30	57	87
19	छापड़ा	47	12	59
20	सोनेली	45	67	112
21	गोठ, मांगलोत, पिड़ियारा	20	20	40
22	रातंगा	27	55	82
23	रोल	80	0	80
24	डिडियाखुर्द	35	6	41
25	डिडियाकला	20	2	22
26	छावटा कला	30	12	42
27	छावटा खुर्द	15	20	35
28	रूणिया	20	0	20
29	बुगरड़ा	20	9	29
30	सुवाधिया	40	1	41
31	मेहरवास	80	1	81
32	धारणा	90	45	135
33	झलालड़	13	1	14
34	कुसिया	17	7	24
35	जायल	80	25	105
		1194	711	1905